बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15 / आरोप–ट्रैप (रोहतास) 02–111 / 2026–..........................(15) / रा0, दिनांक–..........................

1. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के प्रेस विज्ञप्ति सं0–64 / 2026 दिनांक–22.05.2026 के द्वारा श्री आकाश कुमार रौनियार, अंचल अधिकारी, सासाराम, रोहतास को दाखिल खारिज करने के एवज में 3,00,000 / –(तीन लाख) रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक–22.05.2026 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी पटना में उपस्थापित किये जाने की सूचना दी गई है।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की गंभीरता (भ्रष्टआचरण) को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री आकाश कुमार रौनियार, अंचल अधिकारी, सासाराम, रोहतास को गिरफ्तार किये जाने की तिथि–22.05.2026 से निलम्बित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रौनियार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 की उप कंडिका–'क' एवं 'ग' तथा कंडिका–2 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की **तिथि–22.05.2026 के प्रभाव से निलम्बित** किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि के दौरान श्री रौनियार का **मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा** निर्धारित किया जाता है, जहाँ हिरासत से मुक्त होने के उपरान्त वे अपना योगदान समर्पित करेंगे, जहाँ वे नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे।

5. निलम्बन अवधि में श्री रौनियार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 10 (1) के प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–15 / आरोप–ट्रैप (रोहतास) 02–111 / 2026–......................(15) / रा0, पटना– 15, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव, सारण, छपरा / समाहर्त्ता, रोहतास / जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता, रोहतास से अनुरोध है कि श्री आकाश कुमार रौनियार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर (साक्ष्य सहित) विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Suspension\Aakash kr rauniyar_CO_(Sasaram)_Trap_2.docx

ज्ञापांक :–15/ आरोप–ट्रैप (रोहतास) 02–111/2026–........................(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक–........................

निबंधित
ई–मेल

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके प्रेस विज्ञप्ति सं0–64/2026 दिनांक–22.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–15/ आरोप–ट्रैप (गोपालगंज) 02–15/2026–........................(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक–................................

निबंधित

प्रतिलिपि :– श्री आकाश कुमार रौनियार, अंचल अधिकारी, सासाराम, रोहतास **(स्थायी पता–वार्ड नं0–13, ठाकुरबाड़ी (बनियापट्टी), पो0–मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–15/ आरोप–ट्रैप (गोपालगंज) 02–15/2026–....699....(15)/रा0, पटना– 15, दिनांक–27/05/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/5/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।